**वादपत्र को वापस करने के लिए आवेदन पत्र का उत्तर**

न्यायालय मुन्सिफ.................

मूल वाद सं. ........................... सन्...............

**अबक**  ........वादी

बनाम

**कखग**  .......प्रतिवादी

सिविल प्रकीर्ण आवेदन पत्र सं............सन्.................. का

श्रीमान्,

उपर्युक्त आवेदन पत्र के वादी का उत्तर निम्नलिखित रूप में सादर प्रस्तुत किया जाता है

1. यह कि अभिलेख पर विधि एवं तथ्यों की भ्रमात्मक संकल्पना पर दाखिल किया जाता है।
2. यह कि कृषिक ऋणिता का राजस्थान अनुतोष अधिनियम पर दाखिल किया जाता है, की धारा 6 यह पर्याप्त रूपेण स्पष्ट कर देती है यद्यपि एक अतिरिक्त ऐसे आवेदन पत्र को दाखिल करने के लिए लेनदार को दिया गया है लेकिन यह उस क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाला ऋण अनुतोष न्यायालय होगा जिसमें ऋणी साधारण रूप से निवास करता है और अपनी जीविका उपार्जित करता है।
3. यह कि उपर्युक्त अधिनियम की सम्पूर्ण स्कीम यह प्रदर्शित करती है कि इसको एक कृषक की प्रसुविधा के लिए या ऋणिता से अनुतोष उसको प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया। ऋणी को ही अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन ऐसा एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए हकदार बनाया गया।
4. यह कि अधिनियम के उपबन्धों के अधीन ऋण अनुतोष न्यायालय है जिसके पास अधिकारिता होती है और न कि अभिकथित न्यायालय जहा ऋणी साधारण तौर पर निवास करता है।
5. यह कि प्रतिवादी का आवेदन पत्र खर्च सहित खारिज किये जाने योग्य है।

**तारीख..............**

**वादी जरिये**

**अधिवक्ता**